फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष – 2013

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष – 1988.89

1.	अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम	जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव
2.	वर्तमान पता	आवास गृह क्र. एफ–4 एमपीपीटीसीएल कालोनी पतेरी सतना (म0प्र0)
3	कार्यालय का नाम	परीक्षण संभाग सतना
4	वर्तमान वेतन	16790 / एवं 3800 ग्रेड पे तथा अन्य
5	भविष्य निधि कमांक	25145103
6	कर्मचारी संख्या	91536945

उस जिले, उप–संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमे सम्पत्ति स्थिति हो	सम्पत्ति नाम तथा ब्यौरा: गृह तथा अन्य भवन हेतु	सम्पत्ति नाम तथा ब्यौरा: भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाई के वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी / कर्मचारी का सम्बन्ध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, पट्टा, बंधक, विरासत,भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
पैतृक ग्रह ग्राम +पो0– खैरा , पंचायत – बहुवन , थाना सोनहन जिला कैमोर – भमुआ (बिहार)	**आवास गृह लगभग 00.05 डिसमिल** —	**खेती योग्य सिंचित दो एकड़**	**लगभग बीस लाख**	**स्वयं कर्मचारी के नाम धारित है**	**विवरणी में उल्लेखित अचल सम्पत्ति पिताजी के स्वर्गवास एवं पारिवारिक बंटवारा उपरान्त पैतृक अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुआ है।**	**लगभग 40 हजार रूपये प्रतिवर्ष**	OFFICE OF THE E.E. (Testing) MPPTCL SATNA. 1. A.E (O) 2. D.A 3. Jr. Steno 4. Estt. Sec. 5. Cash Sec. 6. Purchase Sec. 7. General Sec. 8. Bill Sec. 9. Works Sec. 10. KK
——तदैव——	——	**00.46 डिसमिल खेती योग्य सिचिंत**	**दो लाख तीस हजार**	**कर्मचारी के पत्नी श्रीमती गीता श्रीवास्तव के नाम धारित है**	**विवरणी में उल्लेखित आराजी श्रीमती यशोदा देवी पत्नी ललन लाल श्रीवास्तव से वर्ष 2003 में कय कर प्राप्त हुआ है।**	**लगभग 10 हजार प्रति वर्ष**	D.A 4/1/14

नोट – उपरोक्त अचल सम्पत्ति का विवरण विगत वर्ष 2012 में भी विभाग की ओर प्रस्तुत किया गया है अर्थात वर्ष 2013 में उक्त अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर 3.1.14

नाम जे0पी0एन0श्रीवास्तव.

पद . अति0का0सहा0श्रे02

* जहां लागू न हो, काट दीजिये

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

*** इसमें अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी– मण्डल द्वारा ग्राहय मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महिने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी

HINDI